न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 85 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. वीरमाराम पुत्र खेराजराम उम्र 60 वर्ष
2. भींयाराम पुत्र खेराजराम उम्र 55 वर्ष
3. मुकनाराम पुत्र खेराजराम उम्र 54 वर्ष जातियान जाट, निवासीयान भगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.श्रीमान तहसीलदार, बायतु
2.डुंगराराम पुत्र विशनाराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला पुराना गांव तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
3.कस्तुराराम पुत्र सालूराम उम्र 90 वर्ष
4.तीजोंदेवी पत्नी विशनाराम उम्र 65 वर्ष
5.भूधरराम पुत्र पूनमाराम उम्र 55 वर्ष
6.श्रवणकुमार पुत्र भवानीसिंह उम्र 10 वर्ष (उतरदाता सं. 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता लक्ष्मीदेवी)
7.लक्ष्मीदेवी पत्नी भवानीसिंह उम्र 32 वर्ष
8.देवाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 35 वर्ष
9.माडूदेवी पत्नी गिरधारीराम उम्र 60 वर्ष जातियान जाट, निवासीयान् भगोणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अपर जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 17 / 2017 बअनवान वीरमाराम बनाम तहसीलदार बायतु वगै. में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 09 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 01.07.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 09 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा भगोणियों की ढाणी के खसरा संख्या 615 रकबा 01.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 616 रकबा 45.01 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 617 रकबा 02.03 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं मौजा माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा संख्या 303 रकबा 20.06 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 305 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 345 रकबा 06.04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 396 रकबा 54 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 423/303 रकबा 02.05 बीघा किस्म बारानी दोयम तथा मौजा माडपुरा बरवाला के खसरा संख्या 601 रकबा 08.17 बीघा किस्म बारानी दोयम तहसील बायतु में स्थित है। जिसमें अपीलकर्तागण का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, उतरदाता संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा, उतरदाता संख्या 5 का 1/5 हिस्सा व उतरदाता संख्या 6 से 9 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा था। अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 9 विवादित आराजी पर अपने हक हिस्से अनुसार पूर्व में अपने मध्य हुए मौखिक बंटवाडे अनुसार काबिज थे। एवं इस रहवासीय ढाणीयों भी विवादित आराजी पर बना रखी है। सभी अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 4 व 6 से 9 अनपढ व मात्र साक्षर व्यक्ति है। भूधरराम (रेस्पोडेंट संख्या 05) पढा लिखा एवं शिक्षित व्यक्ति है। भूधरराम द्वारा बंटवाडे की लिखित निष्पादित कर उस पर बिना नक्शे में रंग भरे ही अपीलांटस व अन्य उतरदातागण के हस्ताक्षर करवा दिये। तत्पश्चात पटवारी के साथ सांठ गांठ कर विभाजन प्रस्ताव में गलत नक्शें, वर्तमान कब्जे काश्त के विपरित बनाकर उसे तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया एवं तहसीलदार बायतु ने बिना किसी विधिक जांच के दिनांक 09.06.2017 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। जिस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान पक्षकारान् के मध्य विचाराधीन प्रकरणों का राजीनामें से निस्तारण करन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए दोनों पक्षों के मध्य सुलह एवं समझाईश का कोई प्रयास नहीं किया एवं खाली आदेशिका पर पक्षकारों के हस्ताक्षार करा दियें एवं विधिक बिन्दुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता नियुक्त होनें के पश्चात भी अधिवक्ताओं को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्याद के बिंदु पर अपील को म्याद बाहर मानकर खारिज कर दिनांक 21.07.2017 को पूर्ववर्ती दिनांक में आदेश पारित किया है जो विधि सहित प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांत सुनवाई के समुचित अवसर के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 9 विवादित आराजी पर अपने हक हिस्से अनुसार पूर्व में अपने मध्य हुए मौखिक बंटवाडे अनुसार काबिज थे। एवं इस रहवासीय ढाणीयों भी विवादित आराजी पर बना रखी है। सभी अपीलांट व उतरदाता संख्या 2 से 4 व 6 से 9 अनपढ व मात्र साक्षर व्यक्ति है। भूधरराम (रेस्पोडेंट संख्या 05) पढा लिखा एवं शिक्षित व्यक्ति है। भूधरराम द्वारा बंटवाडे की लिखित निष्पादित कर उस पर बिना नक्शे में रंग भरे ही अपीलांटस व अन्य उतरदातागण के हस्ताक्षर करवा दिये। तत्पश्चात पटवारी के साथ सांठ गांठ कर विभाजन प्रस्ताव में गलत नक्शें, वर्तमान कब्जे काश्त के विपरित बनाकर उसे तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया एवं तहसीलदार बायतु ने बिना किसी विधिक जांच के दिनांक 09.06.2017 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। जिस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान पक्षकारान् के मध्य विचाराधीन प्रकरणों का राजीनामें से निस्तारण करन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए दोनों पक्षों के मध्य सुलह एवं समझाईश का कोई प्रयास नहीं किया एवं खाली आदेशिका पर पक्षकारों के हस्ताक्षार करा दियें एवं विधिक बिन्दुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता नियुक्त होनें के पश्चात भी अधिवक्ताओं को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही म्याद के बिंदु पर अपील को म्याद बाहर मानकर खारिज कर दिनांक 21.07.2017 को पूर्ववर्ती दिनांक में आदेश पारित किया है जो विधि सहित प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांत सुनवाई के समुचित अवसर के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में पेश अपील क्षेत्राधिकार से बाहर है। आपसी सहमति से हुए बंटवारे की अपील के खिलाफ न्यायालय हाजा में अपील मेंटनेबल नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी देखी। मामला तहसीलदार बायतु के समक्ष उभयपक्ष के सभी सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे के आदेश दिनांक 28.05.2015 से संबंधित है जिसकी अपील अंतर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर में हुई और इसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 को हुआ। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील के प्रावधानों का संदर्भ लिया। आदेशों की अपीलों का प्रावधान धारा 225 में विहित किया हुआ है। **धारा 225(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि "इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई अपील नहीं होगी।** विधि के विहित प्रावधानों के आलोक में न्यायालय हाजा में यह अपील नहीं हो सकती। अपीलांट विहित विधिक उपचारों का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है। यह अपील विधि से वर्जित होने के कारण खारिज की जाती है।

1/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner